आदेश

आदेश का क.सं. एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाही के बारें में टिप्पणी तारीख सहित
11.8.2009	यह अभिलेख ग्राम नईटांड, अंचल बेंगाबाद के अंर्तगत खाता नं. 41 प्लॉट नं 191 में श्री द्वारिका पंडित एवं उनकी तीन पुत्रवधुओं कमशः लाछो देवी पति भुवनेश्वर पंडित , प्रमीला देवी पति रामेश्वर पंडित एवं मंगरी देवी पति बुधन पंडित , सभी वांसिदा ग्राम नईटांड, अंचल एवं थाना बेंगाबाद जिला गिरिडीह के नाम बंदोबस्त पर्चा के विरूद्ध श्री खुबलाल पंडित एवं अन्य ग्रामीणों ग्रा0–नईटांड के द्वारा दिये गये प्रतिवाद आवेदन पर श्री अनिल कुमार, कार्यपालक दण्डाधिकारी, गिरिडीह के द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन के आधार पर अभिलेख संख्या 240/08–09 कार्रवाई हेतु प्रारंभ किया गया।उक्त बंदोबस्त पर्चा से संबंधित नीचले अंचल कार्यालय बेंगाबाद अर्थात् अंचल बेंगाबाद अभिलेख संख्या 02/06–07 श्री द्वारिका पंडित , 03/06–07 प्रमीला देवी , 04/06–07 मंगरी देवी एवं 05/06–07 लाछो देवी हेतु उपलब्ध किया गया । श्री अनिल कुमार , कार्यपालक दण्डाधिकारी, गिरिडीह के पत्रांक 2781 / सा., दिनांक 29.11.08 के जांच प्रतिवेदन के आधार पर सुनवाई के कम में उभय पक्षों को अपना पक्ष रखने एवं बेंगाबाद अंचल के तत्कालीन राजस्व कर्मचारी , अंचल निरीक्षक, अंचल अमीन एवं अंचल अधिकारी को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिश निर्गत किया गया। अंचल अमीन , श्री सोनावा मुर्म , राजस्व कर्मचारी श्री वंसत प्र. सिंह एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक, श्री तेजु मांझी ने अपना पक्ष रखा। प्रथम पक्ष की ओर से श्री गणपत कु0 वर्मा विद्वान अधिवक्ता एवं द्वितीय पक्ष की ओर से श्री प्रदीप कु. अम्बष्ठ विद्वान अधिवक्ता विधिक शक्ति के साथ दिनांक 10.06.09 एवं 15.07.09 को अपने –अपने ओर से दावा साक्ष्य प्रस्तुत किया गया। दिनांक 11.08.09 को उभय पक्षों ने अपना–अपना पक्ष रखा। प्रथम पक्ष ने कहा कि श्री द्वारिका पंडित ने अपने एवं अपने तीन पुत्रवधुओं के नाम हल्का कर्मचारी, अंचल निरीक्षक, अंचल अमीन एवं अंचल अधिकारी के मिलीभगत से चार अभिलेख प्रत्येक के नाम 0.04 डी. जमीन कुल 0.16 (सोलह) डी0 सरकारी जमीन का पर्चा अपने नाम करवाने में सफल रहा।	

अंचल अधिकारी बेंगाबाद के कार्यालय में संधारित उक्त चारों अभिलेखों के देखने से यह स्पष्ट होगा कि आवेदक के नाम , आवेदन पत्र से लेकर जांच प्रतिवेदन एवं आदेश फलक एक ही व्यक्ति के द्वारा लिखा गया हैं।

गुप्त तरीके से बिना ग्रामीणों को सूचना दिये आम इस्तेहार में खानापूर्ति की गई हैं । उन्होनें यह भी बताया कि द्वारिका पंडित पिता स्व. जानकी पंडित को इसी मौजा में वर्ष 1970–71 में खाता नं0 26/4 , रकवा 0.02 डी. जमीन का पर्चा मिला हैं। इसके अलावे श्री रामेश्वर पंडित पिता श्री द्वारिका पंडित के नाम ग्राम लालपुर , अंचल एवं थाना बेंगाबाद के खाता नं. 27 प्लॉट नं. 55 में केवाला द्वारा 0.18 डी0 जमीन भी खरीदा गया हैं। इन्होनें यह भी कहा हैं कि Bihar Privileged Persons Homestead Tenancy Mannual 1947 के नियम 5(2) के तहत् भी नोटिश भी नही निर्गत किया गया।

द्वितीय पक्ष ओर संबंधित अधिकारियों ने तथ्यों को छिपाकर पर्चा निर्गत करवाने की कार्रवाई की हैं। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कहा हैं कि जिस जमीन पर द्वारिका पंडित एवं उनके पुत्रवधुओं के नाम से पर्चा दिया गया हैं वह जमीन आम रास्ता , विद्यालय एवं ग्रामीणों के आम उपयोग के लिये हैं।

गृह स्थल वासगित पर्चा निर्गत होने तक सारे तथ्यों को छिपाकर रखा । ~~गृह स्थल पर्चा निर्गत होने के उपरांत सारे तथ्यों को छिपाकर रखा~~ । गृह स्थल पर्चा निर्गत करने के उपरांत जब द्वारिका पंडित इस जमीन पर अपना कब्जा करने के उद्देश्य से कार्य शुरू किया तो ग्रामीणों को इस बात का पता चला तो ग्रामीणों द्वारा विरूद्ध में सभी संबंधित अधिकारियों को तथा अंचल कार्यालय में परिवाद पत्र एवं धरना प्रर्दशन किया गया। इस कथन के साक्ष्य में प्रेस कतरन समर्पित किया गया । इन्होनें बहस के दौरान उस अंचल कार्यालय से निर्गत श्री द्वारिका पंडित पिता स्व0 जानकी [illegible] श्रीमती प्रमीला देवी, पति रामेश्वर पंडित एवं श्रीमती मंगरी देवी [illegible] पंडित के बिना हस्ताक्षर एवं अंगूठे के निशान के सत्यापित [illegible] पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत करते हुए दावा की संबंधित [illegible] [illegible] से तथ्यों को छिपाकर ग्रामीणों एवं विदयालय [illegible] [illegible] से एक ही परिवार के [illegible] [illegible] कराया [illegible] हैं [illegible]

प्रश्नगत पर्चा को निरस्त किया जाय।

द्वितीय पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता का कहना हैं कि विपक्षी द्वारिका पंडित बहुत ही गरीब एवं भूमिहीन हैं । उनका यह भी कहना हैं कि पर्चा विधिवत जांचोपरांत निर्गत किया गया हैं और इस जमीन पर विपक्षीगण अपना – अपना मकान बनाकर रह रहे हैं। दखलकार हैं मालगुजारी रसीद भी कट रहा हैं। इसलिए पर्चाधारियों के नाम से जो पर्चा निर्गत किया गया हैं उसे कायम रखा जाय। बहस के दौरान यह भी कहा कि इस वाद में प्रतिवादी केवल द्वारिका पंडित को बनाया गया हैं। श्रीमती मंगरी देवी, श्रीमती प्रमीला देवी एवं श्रीमती लाछो देवी को न्यायलय से नोटिश निर्गत नही किया गया हैं इसलिए तीनों महिला के अनुपस्थिति में न इस जमीन को जांच पड़ताल किया गया हैं, जो न्यायहित में नही हैं। इनका यह कथन सत्य प्रतित नही होता हैं क्योंकि अधोहस्ताक्षरी ने सुनवाई हेतु श्री द्वारिका पंडित सहित उनके तीनों पुत्रवधुओं के नाम नोटिश निर्गत कर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया हैं और सभी चारो प्रतिवादियों द्वारा वाकालतनामा में हस्ताक्षर भी किया गया हैं।

अंचल कार्यालय में संधारित प्रश्नगत वाद से संबंधित चारों अभिलेखों एवं नालिसी जमीन के संदर्भ में ग्रामीणों द्वारा दिये गये आवेदन पत्र पर श्री अनिल कुमार , कार्यपालक दण्डाधिकारी, गिरिडीह के पत्रांक 2781 /सा. दिनांक 29.11.08 द्वारा समर्पित स्थल जांच प्रतिवेदन का आवलोकन किया । श्री अनिल कुमार, कार्यपालक दण्डाधिकारी ने जांच प्रतिवेदन में लिखा हैं कि स्थल जांच के क्रम में पाया गया कि श्री द्वारिका पंडित विद्यालय के पास प्रश्नगत जमीन पर 0.04 डी. खपडेल मकान में अपने परिवार के साथ रहते हैं। इसी मकान के अगल–बगल की जमीन परती हैं ओर आम रास्ता गुजरता हैं , जिसका उपयोग ग्रामीण करते हैं। इसी जमीन का 04 (चार) पर्चा कुल 0.16 डी. जमीन श्री द्वारिका पंडित एवं उनके तीन पुत्रवधुओं कमशः लाछो देवी, प्रमिला देवी एवं मंगरी देवी के नाम पर्चा निर्गत किया गया हैं। पुछताछ के क्रम में ग्रामीणों ने यह बताया कि द्वारिका पंडित को पूर्व में इसी मौजा में 0.02 डी. जमीन का पर्चा दिया गया हैं। इन्होनें इस जमीन पर बने मकान का भी निरीक्षण कर स्पष्ट किया कि श्री द्वारिका पंडित का परिवार इस मकान का उपयोग कर रहें हैं। प्रश्नगत खपडैल मकान जो विद्यालय के पास हैं ग्रामीणों

ने विद्यालय के लिये बनाया था। जब विद्यालय का अपना भवन बन गया तो श्री द्वारिका पंडित इसमें खपड़ा बगैरह बनाने का काम के उपयोग में लाने लगा और उपयोग करने लगें।

जांच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता हैं कि इस व्यक्ति को पूर्व में वासगित पर्चा दिया गया हैं तो पूनः इसी व्यक्ति के नाम गृह स्थल पर्चा देने का कोई औचित्य नही हैं । जांच प्रतिवेदन में यह भी बताया गया कि एक आवेदन बिना द्वारिका पंडित के हस्ताक्षर या अंगूटे के निशान का हैं , जिसका सत्यापित छायाप्रति संलग्न किया गया , से स्पष्ट होता हैं कि षड़यंत्र के तहत् भूमाफिया के द्वारा तैयार अभिलेख के आधार पर तथ्यों को छिपाकर एक परिवार के लोगों को गलत एवं गुपचुप तरीके से सरकारी जमीन दिया गया।

जांच प्रतिवेदन के साथ इस्तिहार में जिन व्यक्तियों के हस्ताक्षर दिखाये गयें हैं उसके बारें में केशव वर्मा एवं टीपू महतो ने अपना हस्ताक्षर देने की बात को गलत बताया हैं और लिखित बयान जांच पदाधिकारी को दिया है जो अभिलेख में संलग्न हैं

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता की दलील, श्री अनिल कुमार, कार्यपालक दण्डाधिकारी के द्वारा समर्पित स्थल निरीक्षण का जांच प्रतिवेदन, श्री महादेव सोरेन, हल्का कर्मचारी दिनांक 26.04.09 को दिया गया प्रतिवेदन श्री द्वारिका पंडित के द्वारा जांच अधिकारी श्री अनिल कुमार , को दिया गया अपना लिखित बयान, सोनवा मुर्मू अंचल अमीन का फर्द बयान एवं अभिलेख में संलग्न सभी कागजातों अंचल कार्यालय में संधारित उपरोक्त चारों अभिलेख एवं संलग्न कागजातों का अवलोकन करने के पश्चात मैं इस निष्कर्श पर पंहुचता हूँ कि एक षड़यंत्र के तहत् भूमाफिया की मिलीभगत से तथ्यों को छिपाकर बिना स्थल निरीक्षण का तत्कालिन हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से उच्चाधिकारियों से एक ही परिवार के नाम 0.16 डी0 सरकारी जमीन का गृहस्थल वासगित पर्चा निर्गत कराने की कार्रवाई की हैं।

अतः अभिलेख में संलग्न लाछो देवी, पति भुवनेश्वर पंडित , प्रमिला देवी पति रामेश्वर पंडित एवं मंगरी देवी पति बुधन पंडित ने गलत तरीके से निर्गत पर्चा स्वेच्छा से लिखित रूप में पर्चा जांच पदाधिकारी को रद्द करने के उद्देश्य से समर्पित किया हैं , जिसका अवलोकन किया।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर बेंगाबाद अंचल के तत्कालीन

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा भूमाफिया के द्वारा तैयार अभिलेख के आधार पर तथ्यों एवं सरकारी मानदण्डों को अनदेखी कर उच्चाधिकारी से एक ही परिवार के नाम सरकारी जमीन के बंदोबस्ती का पर्चा निर्गत करवाने की कार्रवाई की गई हैं ।

अतः इसे लोकहित एवं सरकारी हित में निरस्त करना आवश्यक हैं। इस मामलें में जिस तरह तथ्यों को छिपाकर गलत जांच प्रतिवेदन आदि तैयार कर उच्चाधिकारी को गुमराह कर पर्चा निर्गत कराने में भूमिका आदा करने में तत्कालिन हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई करने की भी आवश्यकता हैं।

इस अभिमत के साथ अभिलेख सभी संगत कागजातों एवं अंचल अधिकारी, बेंगाबाद के कार्यालय का अभिलेख संख्या 02/06–07 श्री द्वारिका पंडित, 03/06–07 प्रमीला देवी, 04/06–07 मंगरी देवी एवं 05/06–07 लाछो देवी पर्चा रद्द करने एवं दोषी राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई प्रांरभ करने की अनुशंसा के साथ अभिलेख स्वीकृति हेतु उपायुक्त, गिरिडीह को समर्पित किया जाता हैं।

01/07–08 02/07–08. 03/07–08 04/07–08

लेखापित एवं संशोधित

अनुमंडल पदाधिकारी,
गिरिडीह।

अनुमंडल पदाधिकारी,
गिरिडीह।